

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

सोमवार, 31 अगस्त, 2026/09 भाद्रपद, 1948(शक्)

2:00 बजे (अपराह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

2. शून्यकाल:

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

4. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

- (i) हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 10 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: जी.ए.डी.-सी-डी(6)-6/2025, दिनांक द्वारा 27.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित; और

- (ii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक)।

5. सदन की समिति का प्रतिवेदन:

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) पर बना समिति के 42वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना" से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री भवानी सिंह पठानिया, "to call the attention of the House regarding the farmers being forced to buy "Nano Urea Plus" along with normal urea bag by depot holders."
- (2) श्री रणधीर शर्मा, "श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सम्पर्क सड़कों की स्थिति एवं सुधार बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

- (1) श्री रणधीर शर्मा
श्री सुधीर शर्मा
श्री राकेश जम्वाल
डॉ० हंस राज
श्री जीत राम कटवाल
- } प्रस्ताव करेंगे कि:

"युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे" यह सदन विचार करे।

(2) श्री केवल सिंह पठानिया, प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश के जल संसाधनों/जलविद्युत परियोजनाओं से देय रॉयल्टी, फ्री पावर, जल उपकरण की बकाया देयताओं (Liabilities) की वसूली तथा राजस्व हितों के संरक्षण हेतु" यह सदन विचार करे।

शिमला-171004
दिनांक: 27 अगस्त, 2026

(यशपाल शर्मा)
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)